अपील सूचना अधिकार संख्या 67/2019 (RCMS 2019/00181) श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 69 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (पो.ऑ. नम्बर **41एफ/167923**) बनाम लोक सूचना **अधिकारी एवं तहसीलदार (निर्वाचन), श्रीगंगानगर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21.10.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी ने अपनी बहस में कहा कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगगानगर के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके 09 बिन्दुओं की सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे निश्चित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसे लोक अधिकारी से वांछित बिन्दुवार सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत 25000/– रूपये शास्ति अधिरोपित की जावे एवं हर्जाना प्रार्थी को दिलवाये जाने की प्रार्थना की है।

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 22.10.2018 से लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के पत्रांक 3471 दिनांक 09.03.18, जो तहसीलदार (निर्वाचन), श्रीगंगानगर को सम्बोधित है, के कार्यालय में पहुंचने की तारीख व पत्र प्राप्ति पंजिका का क्रमांक व दिनांक की सूचना।
2. बी.एल.ओ. श्री सुभाष गोयल द्वारा निंक 05.04.2014 से 07.04.2014 तक मुख्यालय जिस अधिकारी से अनुमति लेकर गया, उस अधिकारी का नाम व पद की सूचना।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

3. आचार संहिता प्रारम्भ होने के पश्चात डेप्यूटेशन पर कार्यरत कर्मकार चुनाव ड्यूटी के दौरान जिस अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय छोड़कर जायेगा, उसके अधिकारी का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।
4. आचार संहिता लोकसभा चुनाव 2014 में दिनांक 05.04.2014 से दिनांक 07.04.2014 तक मुख्यालय छोड़ने का प्रार्थना पत्र बी.एल.ओ. श्री सुभाष गोयल द्वारा जिस निर्वाचन अधिकारी को दिया, उसकी सूचना व प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति।
5. जिस निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिस जगह मुख्यालय छोड़ने हेतु आवेदन मंजूर दिनांक 05.04.2014 से दिनांक 07.04.2014 तक का किया, उस अधिकारी का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।
6. बी.एल.ओ. श्री सुभाष गोयल 05.04.2014 से दिनांक 07.04.2014 तक श्रीगंगानगर में चुनाव ड्यूटी पर कार्यरत होने की अवस्था में दिनांक 05.04.2014 से 07.04.2014 की अवधि का मुख्यालय छोड़ने की अनुमति जिस आचार संहिता के नियम के अन्तर्गत दी गई, उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।
7. आचार संहिता का उल्लंघन बी.एल.ओ. द्वारा किया जाने पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय की दिनांक 21.09.2000 की पालना में बी.एल.ओ. को Suspend करने के सम्बन्ध में सूचना।
8. बी.एल.ओ. श्री सुभाष गोयल लोकसभा चुनाव 2014 से जिस निर्वाचन अधिकारी के अधीन कार्यरत रहे थे, उस अधिकारी का पद व नाम की सूचना।
9. वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव 2014 में पदस्थापित रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी का नाम व पद की सूचना।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर निम्नानुसर जवाब दिया है :

उक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा अपील संख्या 67/2019 के संदर्भ जवाब चाहा गया है।

इस बाबत निवेदन है कि यह अपील 22.10.2018 के मूल आवेदन के संदर्भ में दर्ज की गई है।

इस 22.10.2018 के मूल आवेदन के विरूद्ध श्रीमान् जिला कलक्टर न्यायालय, श्रीगंगानगर में प्रथम अपील संख्या 80/2018 श्री राधेश्याम गोयल बनाम प्रभारी अधिकारी, निर्वाचन शाखा, श्रीगंगानगर के रूप में दर्ज होकर 24.06.2019 को निर्णित हो चुकी है।

एक ही आवेदन के विरूद्ध दूसरी बार प्रथम अपील करने का सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रावधान नहीं है। अपील विधि द्वारा बारित है। साथ ही इसी प्रार्थना पत्र के संदर्भ में श्री राधेश्याम गोयल द्वारा द्वितीय अपील संख्या 104031 दायर की जा चुकी है जिसका राज्य सूचना आयोग में प्रत्युत्तर इस कार्यालय के पत्रांक 12310 दिनांक 25.07.2019 द्वारा भेजा जा चुका है।

अतः श्रीमान् जिला कलक्टर न्यायालय में दर्ज अपील संख्या 67/2019 इसी स्तार पर खारिज (Drop) करने योग्य होने से खारिज करने की इस्तदुआ है।

—sd—
(ओ.पी. जैन)
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि लोक सूचना अधिकारी के उक्त जवाब के अनुसार अपीलार्थी के द्वारा पूर्व में भी इसी सूचना के सम्बन्ध में अपील पेश गई थी जो इस न्यायालय में अपील संख्या 80/2018 पर दर्ज होकर दिनांक 24.06.2019 को निस्तारित की जा चुकी है। इसलिए उसी सूचना के सम्बन्ध में पुनः प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया जा सकता है और ना ही पुनः अपील पेश की जा सकती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के अनुसार निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर